

प्रेस नोट दिनांक 14.11.2021 जनपद मेरठ ।

थाना दौराला पुलिस द्वारा गश्त के दौरान चोरी का सामान ले जाते हुए दो नफर अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया है जिनके कब्जे से नकबजनी का सामान (एक सैलेण्डर भारत गैस, एक भट्टी लोहा, एक झरनी लोहा, एक भिगोना स्टील एक इन्वर्टर मार्का SHAMSI व एक बडा बैटरा मार्का UTL) व दो अदद छूरी बरामद हुए ।



आज दिनांक 14.11.21 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मेरठ के निर्देशन में जनपद मे हो नकबजनी एवं चोरी की रोकथाम एवं चोरो की धरपकड हेतू गश्त के दौरान पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी दौराला, प्रभारी निरीक्षक दौराला के कुशल निर्देशन में गश्त के दौरान थाना दौराला पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1. सन्दीप पुत्र फूल सिंह नि0 डबल स्टोरी फेस 2 थाना पल्लवपुरम जनपद मेरठ 2. चरन सिंह उर्फ अमित पुत्र शीशपाल सिंह नि0 कस्बा व थाना वजीरगंज जनपद बदायू को एटूजैड के सामने एनएच-58 शराब के ठेके के पास गोपीचन्द पुत्र स्व0 श्री भिक्की के मकान से चोरी करते समय करीब 05.30 बजे चोरी किये हुए मय माल के गिरफ्तार किये गये जिनके कब्जे से दो अदद नाजायज छूरी व बरादमगी एक सैलेण्डर भारत गैस, एक भट्टी लोहा, एक झरनी लोहा, एक भिगोना स्टील एक इन्वर्टर मार्का SHAMSI व एक बडा बैटरा मार्का UTL बरामद हुआ । इस सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 379/21 व 380/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट व मु0अ0सं0 381/21 धारा 457,380, 411 IPC पंजीकृत किया गया है ।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त-

1. सन्दीप पुत्र फूल सिंह नि0 डबल स्टोरी फेस 2 थाना पल्लवपुरम जनपद मेरठ
2. चरन सिंह उर्फ अमित पुत्र शीशपाल सिंह नि0 कस्बा व थाना वजीरगंज जनपद बदायू

घटना स्थल व गिरफ्तारी का समय व दिनांक -

एटूजैड के सामने एनएच-58 शराब के ठेके के पास, 05.30 बजे, दिनांक 14/11/2021

बरामदगी-

1. दो अदद छूरी
2. एक सैलेण्डर भारत गैस, एक भट्टी लोहा, एक झरनी लोहा, एक भिगोना स्टील एक इन्वर्टर मार्का SHAMSI व एक बडा बैटरा मार्का UTL

अभियुक्त सन्दीप पुत्र फूल सिंह उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 210/2021 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना लालकुर्ती जनपद मेरठ
2. मु0अ0सं0 379/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना दौराला जनपद मेरठ
3. मु0अ0सं0 38120/21 धारा 457,380,411 भादवि थाना दौराला जनपद मेरठ

अभियुक्त चरन सिंह उर्फ अमित पुत्र शीशपाल सिंह उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 353/2019 धारा 380,457 भादवि आबकारी अधि0 थाना दौराला जनपद मेरठ
2. मु0अ0सं0 350/2020 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना दौराला जनपद मेरठ
3. मु0अ0सं0 049/2020 धारा 398, 401 भादवि थाना बृहमपुरी जनपद मेरठ
4. मु0अ0सं0 050/2020 धारा 25/4 आर्म्स एक्ट थाना बृहमपुरी जनपद मेरठ
5. मु0अ0सं0 380/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना दौराला जनपद मेरठ
6. मु0अ0सं0 381/2021 धारा 457, 380, 411 भादवि थाना दौराला जनपद मेरठ

MEERUT POLICE

सराहनीय कार्य थाना सदर बाजार मेरठ दिनांक 14/11/2021

अवगत कराना है कि आज दिनांक 14/11/2021 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मेरठ व अपर पुलिस अधीक्षक नगर जनपद मेरठ व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी कैन्ट मेरठ महोदय के निर्देशन में थाना सदर बाजार मेरठ पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान अभियुक्त श्रुतिधर त्रिपाठी पुत्र स्व0 ब्रह्मपति त्रिपाठी निवासी 173 कलाल खाना दाल मंडी थाना सदर बाजार मेरठ को दिनांक 13/11/2021 को समय 18.05 बजे सैनिक विहार थाना कंकरखेडा मेरठ से गिरफ्तार किया गया है, उपरोक्त सम्बन्ध में थाना हाजा पर पूर्व से मु0अ0सं0 264/2021 धारा 420/408/467/468/471/506 भादवि पंजीकृत थे।

गिरफ्तार अभियुक्त

श्रुतिधर त्रिपाठी पुत्र स्व0 ब्रह्मपति त्रिपाठी निवासी 173 कलाल खाना दाल मंडी थाना सदर बाजार मेरठ

आपराधिक इतिहास

मु0अ0सं0 264/2021 धारा 420/408/467/468/471/506 भादवि



प्रेस नोट थाना लिसाडी गेट जनपद मेरठ दिनांक 14.11.2021

वादी श्री हाजी मुस्तकीम पुत्र स्व० मुस्ताक अहमद निवासी म०नं० 536 गली नं० 2 ऊँचा सद्दीकनगर थाना लिसाडी गेट मेरठ द्वारा दिनांक 14.11.2021 को थाना हाजा पर तहरीरी सूचना अंकित करायी गयी कि दिनांक 11.11.2021 को समय 10.00 बजे अभियुक्त (1) हाजी सलीम पुत्र इदरीस निवासी गली नं० 3 ऊँचा सद्दीक नगर थाना लिसाडी गेट मेरठ (2) हमजा पुत्र हाजी सलीम निवासी उपरोक्त व दो अज्ञात साथियों द्वारा वादी हाजी मुस्तकीम के घर में गाली गलौच करते हुए घुस आना तथा घर की दूसरी मंजिल पर वादी के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग जाना तथा बाहर से घर का दरवाजा बन्द कर वादी के मकान के निचले हिस्से में आग लगा देना। इस सूचना पर मु०अ०सं० 630/21 धारा 504/452/323/506/436 भादवि पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान आज दिनांक 14.11.2021 को अभियुक्त मौ० सलीम पुत्र इदरीस निवासी गली नं० 3 ऊँचा सद्दीक नगर थाना लिसाडी गेट मेरठ को गली नं० 3 ऊँचा सददीक नगर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्त:

मौ० सलीम पुत्र इदरीस निवासी गली नं० 3 ऊँचा सद्दीक नगर थाना लिसाडी गेट मेरठ

आपराधिक इतिहास:

मु०अ०सं० 630/21 धारा 504/452/323/506/436 भादवि



प्रेस नोट थाना मवाना जनपद मेरठ

थाना मवाना पुलिस द्वारा होटल/ ढाबे पर फायरिंग करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया ।

श्रीमान जी दिनांक 03/10/2021 को वादी रोहित पुत्र रविन्द्र सिंह निवासी ग्राम मुबारिकपुर थाना मवाना जिला मेरठ ने अपने ग्राम कौल के पास स्थित श्री साई फैमली ढाबा चार -पांच व्यक्ति नाम पता अज्ञात के विरुद्ध मु0अ0सं0 457/2021 धारा 147/148/323/504/307/506 भादवि पंजीकृत कराया था। विवेचना के दौरान अभियुक्तगण 1. दीपांशु पुत्र जितेन्द्र 2. बिन्नी उर्फ रितिक पुत्र बबलू चौधरी निवासी गण ग्राम भैंसा थाना मवाना जनपद मेरठ 3. सारंग पुत्र योगेश निवासी ग्राम कौल थाना मवाना जनपद मेरठ का नाम प्रकाश में आया आज दिनांक 14/11/2021 को वांछित अभियुक्त दीपांशु पुत्र जितेन्द्र नि0 ग्राम भैंसा थाना मवाना मेरठ को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है।



प्रेस नोट थाना मवाना जनपद मेरठ

थाना मवाना पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये अपहृता को सुकशल बरामद करते हुये
वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया ।

श्रीमान जी दिनांक 13/11/2021 को मु0अ0सं0 512/2021 धारा 363/507 भादवि पंजीकृत किया गया। अपहृता व वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी व अपहृता की बरामदगी हेतु लगातार दबिश दी गयी. जिसके क्रम में आज दिनांक 14/11/2021 को अपहृता को सकुशल बरामद किया गया व अभियुक्त आकाश पुत्र रणवीर नि0 छिरौन्डा थाना परतापुर जनपद मेरठ उम्र 22 वर्ष को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।



अभियुक्त आकाश पुत्र रणवीर सिंह नि0 ग्राम छिरौन्डा थाना परतापुर जनपद मेरठ